

/font>

14.22 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF TAXATION

LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE

AND

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2003 – contd.

Title: Combined discussion on the statutory resolution regarding disapproval of Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2003, moved by Shri Basudeb Acharia on 8th December, 2003 (Resolution negatived); and consideration of the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2003. (Bill passed) .

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up item nos. 16 and 17 – Further discussion on the Statutory Resolution and further consideration of the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2003.

The time allotted was two hours and 27 minutes had already been taken. Now, the balance time is one hour and 33 minutes.

Shri Sudarsana Natchiappan.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2003 has been moved by the hon. Finance Minister further to amend the Income-tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957 and the Expenditure-tax Act, 1987. It is amending certain provisions for the benefit of certain groups of people. In no way we can appreciate it. This Government is proclaiming itself that it is working for the development of India but they are just focussing upon the groups of people who are lobbying for certain concessions.

We can very easily find out from the very provision in which certain exemptions were given for ship-breaking. No doubt we can appreciate the feeling of the hon. Finance Minister when he said that in Gujarat, the industry is coming up and to compete in the competition of Karachi it is given. We appreciate that but at the same time, you kindly see how we are dealing with new Section 10 (b) (a) which gives a colour as if it is going to help the people, especially who are having the industry based upon the forest produce or any other handicrafts. If we read the Clause, you can very easily find out that the income-tax is deductible from such profits and gains of particular persons. The persons who are going to benefit are the class of people who are exporting and who are having 90 per cent and above export quality goods. We appreciate it but we would like to know whether the focus of the Government is upon the entrepreneurs, the focus of the people who are unemployed, who are going for handicrafts and who are utilising the materials which are available in the remote villages and forests. We would also like to know whether the income-tax deductions are being given to their production and creativity. We can very easily say 'no'. There is no class which wants to help the people. We know very well that 45 per cent of the software industry in India is being handled by the people who are entrepreneurs and small scale industry.

Even WIPRO could not compete with them. Such is the competition because the educated unemployed people, who are skilled, are ready to have their own small-scale industries and they are ready to have the proprietorship. They want to come up and compete with any industry, whether it is a multi-national company or any such other company. Is that type of focus given on this amendment? No. The amendment very clearly excludes the people who are suffering a lot in the villages but they are ready to earn more by way of getting some subsidy or some concession from the Government of India and the State Governments.

I can very easily explain how they were excluded by putting two clauses on focus. This is clause 3 wherein 10BA of the Income-tax Act is to be included, that is sub-clause 2, Explanation (e) says, "An industry employs twenty or more workers during the previous year in the process of manufacture or production." This gives a leeway for the people who are employing more than 20 people. That means, the people who are employing 19 people or who are self-employed or who are having a co-operative or who are employing only five persons or 10 persons, will not get this deduction.

In the same way, clause 7(d) says: "Export out of India shall not include any transaction by way of sale or otherwise, in a shop, emporium or any other establishment situated in India, not involving clearance of any customs station as defined in the Customs Act, 1962." This means even the Gram Udyog Bhavan or the Khadhi Udyog Bhavan, the small people who are producing the materials but selling them to the foreigners or who want to oblige foreign orders cannot get it because they are selling in their own shop or in their own emporium. If such is the situation, how are we going to help the ordinary people who have got the handicraft skill, who have got the artistic mind, and who are ready to bring new things for the welfare of the country? No doubt, I am not telling that all the income-tax assesseees

should be having this concession.

But the wages for the ordinary craftsman are going to be reduced if these clauses are not properly amended. These clauses give way only to the rich people who are trading by taking all our wood and having the craftsmen skill in lesser wages. They produce very beautiful things, handicrafts and sculptures which are very much having a good market in foreign countries. They are going to grab this situation. No doubt, there is a clause which says that if you are exporting for the purpose of trading, this exemption will not be there. But where are they going to export it? Are they going to gift it to the entire world? They are going to purchase it. They are going to have it. The buyers are going to have it just for trading outside the country. When they have gone out of the country, nobody can control it. But here we are putting a condition that if it is for trading, then this exemption will not be there. At the same time, we are allowing people who are having industry. In the name of industry, they are catching plenty of people in groups and they are getting all their skills in their own way. They are taking away all the timbers from the forest. They are utilising them and getting the profit. They are also getting deduction from income tax. Such is the thing happening.

We can very easily find out this from the tables given in the Bill. They are now amended for the lesser percentage of tax. Clause 9, Section 206C of the Income-Tax is amended. The table shows that the percentage of tax exemption in respect of alcoholic liquor for human consumption is going to decrease from 10 to down one. We are losing nine per cent. In regard to Tendu leaves, it is reduced from 15 per cent to five per cent. Then in case of timber obtained under a forest lease, it is decreased from 15 per cent to two-and-a-half per cent. In case of timber obtained by any mode other than under a forest lease, it is coming down to two-and-a-half per cent from five per cent.

Any other forest produce not being timber or *tendu* leaves from 15 per cent to two and one-half per cent and scrap from ten per cent to one per cent. I would like to ask why you have reduced so much for the timber. We are already having the forest wealth devastated by the local traders. They have already cut the timber, all the woods were wasted and we are not having the proper rates. So, forest wealth is stolen away. If such is the situation, then why have you reduced it from 15 per cent to one per cent or two and one-half per cent? With these things, in one way we are telling that if you are importing certain things, certain timber or any such thing from other countries, you are not going to get deduction for that particular production. The other countries' wealth can be brought here and other countries' timber can be brought here, but at the same time, our timber should not go out of the country which is the wealth of our country. But here, the *vice-versa* is happening. If a person is utilising foreign timber, then he is not going to get the deduction from income tax. But, at the same time, if he is utilising the local timber or if he is not at all using the local timber and if he wants to export the timber for the purpose of any such trading, then they are allowed and given the concession. This is totally topsy-turvy. It is against the development of the country and also the wealth of India is going to be totally stolen away by a certain group of people.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the way in which the hon. Minister is thinking to help the small-scale industries who are now suffering in the hands of this NDA Government. The small-scale industries already could not compete with others because of the tax and also the exemptions which are given to other companies. Corporates are getting a lot of financial help and other concessions, but the small-scale industries are getting less and less focus by the banks especially by our public sector banks. They are not ready to give help to small-scale industries. You can very easily look at the data to see how financial help is given to small-scale industries. They are dying, crying for help from the Government of India, but they are not getting any help. So, by this exemption, again, we are going to put the small-scale industries into the coffin. We are allowing the people who are exploiting the artists and handicrafts people, who have got the skill, especially the village folks who are doing these jobs for very minimum wage. They are not going to get the help. But the people who are going to trade through their skill, they are going to get the profit and they are going to have the deduction even in the income-tax and other gains. So, when such a thing is happening, I would like to suggest to the hon. Minister to have a new focus upon this and see that the amendment should be brought forward by the Government so that the small-scale industries who are employing less than 20 people are also benefited. The proprietors, small entrepreneurs who are working under the hon. Prime Minister's Rozgar Yojana or through other schemes, should have the deduction as they have to pay the income-tax. That type of encouragement should be given to each and every family of the villages. They are worried as to how they are going to live tomorrow. That is the situation now prevailing.

With these few words, I would like to comment upon only two other aspects, that is, regarding the deduction made in the wealth tax. I know very well that this Government is focussing upon the wealth tax also. They are exempted from paying the delayed payment and also the income-tax, wealth-tax payments by way of reducing the ratio percentage from one one-fourth to one per cent and, at the same time, they are also having less expenditure tax, from four per cent to one per cent. These are all in one way appreciable because the people who may not have the catch with the wind, may be helped by this reduction.

So, to sum up, the Government should have the feeling that when exemptions are given these should be beneficial for the growth of the industry, for the growth of the individual capacity, for the human resources and not for the

exploitation of the human resources and the skill which was developed by the people of this nation for the past 50 years with their hard work.

With these few words, I would like to conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Kirit Somaiya to speak now.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (SABARKANTHA): Sir, please give me one minute. I want to draw your attention to the appalling conditions of the people who are working in ship-breaking industry in Gujarat. I will be very happy if the hon. Minister can also draw the attention of different Departments to this aspect. There are Supreme Court judgements in this regard. The labourers are working in appalling conditions in the ship-breaking industry. The same is the case of *Tendu* leaf-pluckers. We have given an exemption to the *Tendu* leaf-pluckers. The *Tendu* leaf-pluckers are in the entire country constituting a large percentage. They have to be helped. ...(*Interruptions*)

श्री किरित सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा। **₹** (व्यवधान) अभी आस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो क्रिकेट मैच समाप्त हुआ है, उसमें सौरव गांगुली ने सेंचुरी बनाई, इसलिए उसे मैं ऑफ दि मैच डिक्लेयर किया गया। वित्त मंत्री जी के काल में, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आने वाले दो, पांच, सात दिन में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वह 100 बिलियन डालर को क्रास कर लेगा। इस सेंचुरी के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।

मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने छोटे-छोटे जो ओनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनके रिफण्ड के विषय में बहुत अच्छा, संवेदनशील मन रखकर ध्यान दिया। वास्तव में यह आर्डिनेंस या जो बिल आया है, यह बजट का एक भाग होता है, **It is a routine process.** हर वा बजट आता है, उसमें कुछ अलग प्रकार के प्रोवीजंस किये जाते हैं, उसमें कुछ टैक्नीकल करैक्शंस बाद के सेशन में आते हैं, लेकिन इस बिल में जो रिफण्ड वाला विषय है, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि एक वर्तमान पत्र ने बहुत सुन्दर हैडिंग दिया,

"Jaswant to resolve refunds row."

रिफण्ड के बारे में पिछले 10-15 साल से ओनेस्ट टैक्स पेयर बात करता है, चर्चा कता है, चिन्ता व्यक्त करता है। उसमें सीनियर सिटीजंस हैं, सैलरीड क्लास पीपुल हैं, हर व्यक्ति टैक्स भरता है, वास्तव में उनकी सैलरी में से टैक्स काट दिया जाता है, लेकिन उनका रिफण्ड समय पर नहीं मिलता। उसमें 2-3 साल लगते हैं। मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री ने निर्णय लिया कि मुझे इस साल के अन्त तक पिछले जितने भी रिफण्ड के केसेज में बैकलॉग हो गया है, मैं यह समाप्त करना चाहता हूँ और बैकलॉग लगभग क्लियर हो गया है। इसके लिए जो ईमानदार करदाता हैं, उनकी ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। रिफण्ड सब को देने के कारण क्या टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है, यह भी एक मिथ है और इस बार का टैक्स कलेक्शन देखो, **The latest figures are in our hands.** हो सकता है कि विपक्ष कहे कि फिल गुड फैक्टर की बात शासक वर्ग करता है, लेकिन ये तो फीगर्स हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं कि इस बार का टैक्स कलेक्शन है, **The net collection has grown by almost 18 per cent than the previous year.** उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि इसमें कारपोरेट टैक्स में 31 परसेंट इन्क्रीज हुआ है, यानि **India is on the move.** आज इस देश में ही नहीं, सभी देशों में, विश्व भर में ब्राण्ड इंडिया डवलप होने लगा है। **Thirty-one per cent growth in the industry and the corporate tax is a remarkable one.** मैंने देखने का प्रयत्न किया कि गये 50 वा के इतिहास में क्या हुआ तो एक-दो साल ऐसे मिले होंगे, जिसमें कारपोरेट टैक्स इस प्रकार से ग्रो हो रहा है। कारपोरेट सैक्टर टैक्स कब देगा, जब उनको प्रोफिट हुआ होगा। प्रोफिट कब होगा, जब उसका टर्नओवर बढ़ा होगा और अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो इकोनोमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लायमेंट अपोर्चुनिटीज बढ़ी होंगी और इसके लिए टोटल 17 परसेंट ग्रोथ, जो इसमें दिखाई गई है, **The amount is also not small.** मैं जो रिफण्ड की बात कर रहा था तो एक और बात के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी से भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि मैं इस बिल का तो समर्थन कर रहा हूँ और मैं रिफण्ड विषय पर बोलकर अपनी बात समाप्त करने वाला हूँ। **Why refund is generated?** आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, इस बिल में क्या करैक्शन है?

There was a tendency being developed during the past few years with the industry for parking their surplus funds with the Income Tax Department.

कारपोरेट सैक्टर में यह इस प्रकार की आदतें बनने लगी थी कि उनके पास सरप्लस पैसा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 परसेंट 11 परसेंट, 8 परसेंट ब्याज देती है तो वह एडवांस टैक्स ज्यादा भर देते थे। दो साल बाद रिफंड आयेगा तो दो साल इसकी जितनी सिक्वोरिटी कौन सी है। आठ-नौ परसेंट टैक्स फ्री रिटर्न मिलता था। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर हाथ डाला। काफी लोगों ने उसका विरोध किया था। अलग-अलग प्रकार की विभिन्न लॉबीज आई थीं। अखबार में अलग-अलग प्रकार के समाचार आते रहते थे लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा **nothing doing. There will be only six per cent interest on the refunds.** उसके कारण क्या होगा ? जैसे मैंने कहा कि इस साल भी टैक्स ग्रोथ इतना हुआ है। मैं एक फिगर पढ़ता हूँ **Refunds to the tune of Rs. 19,550 crore have been disbursed during the first six to seven months.** लेकिन वह 19,554 में से 14, 287 करोड़ कारपोरेट को रिफंड गये हैं। कारपोरेट इसका ऐब्यूस कर रहा था या मिसयूज कर रहे थे? उसको बंद करने के लिए यह अमेंडमेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा हाउस इसका समर्थन करेगा, प्रार्थना करेगा कि इस प्रकार **We will not allow you to use the Government system.** दूसरा, मैं मूल विषय के बारे में आपका ध्यान देना चाहूंगा। **Why so much refund is being generated? Let us study why, when, how and where.** वह अगर हम देखने जायेंगे तो ध्यान में यह आयेगा कि यह जो रिफंड जनरेट हो रहा है, उसके अलग-अलग प्रकार के रीजन्स हैं। एक टी.डी.एस. है। दूसरा, एडवांस पैमेंट ऑफ टैक्स, तीसरा, एसेसमेंट टैक्स, चौथा टैक्स अर्थोरिटीज हाटर टैक्स चार्ज करती हैं। इसके लिए लोग अपील में जाते हैं। कुछ जगह पर डबल टैक्सेशन सिस्टम है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एक और एनाउंसमेंट की है। मैं उसके प्रति भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप और आपका डिपार्टमेंट एक प्रपोजल मूव करने जा रहे हैं कि जो भी रिफंड होगा, अगर टैक्स पेयर अपना बैंक एकाउंट डिपार्टमेंट को इन्फार्म करेगा तो रिफंड का बैंक लेने के लिए उसे डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा। उसको छः महीने इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जिस वक्त उसका टैक्स रिटर्न प्रोसेस होगा, रिटर्न के उसी जंक्चर में उसके बैंक एकाउंट में वह रिटर्न का रिफंड डायरेक्ट क्रेडिट हो जायेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपने स्टैम्प पैपर स्कैम पर बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने कहा कि उसे डीमेट करने के बारे में सोच रहे हैं। है। इस प्रकार से इसमें रिफंड के डायरेक्ट क्रेडिट की जो प्रक्रिया है, उसको थोड़ी हमें गति देनी चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिस्टम इस प्रकार का है। छः से बारह महीने तक वहां बैंक पड़ा रहता है। मैं आपके ध्यान उसी के साथ दूसरी चीज पर आकर्षित करना चाहूंगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि **Why so much refund is generated? I would like to give only one figure about how much**

refund is generated. During the last six to seven years, since 1996, the refund disbursement is almost 24 per cent or 25 per cent in few of these years. ग्रोथ कलैक्शन अगर 32 हजार करोड़ रुपये होता है तो उसमें से छः से आठ करोड़ रुपये तक हम री-पे करते हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम की स्टडी करना आवश्यक है। कोई भी सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम There is a need to study the system. आपने एक कदम बहुत अच्छा उठाया। दूसरा, रिटर्न जल्दी मिले, आप यह कर रहे हैं। The third important point is to study why so much refund is generated. The system, which generates 25 per cent of the refund, needs to be studied and corrected. इस प्रकार का रिटर्न क्यों जनरेट हो, उसके दो-चार रीजन्स हैं। One is TDS. Second one is payment of advance tax. The third one is illegal parking of funds or abuse of parking of funds. चौथा प्वाइंट में आपका ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि स्टडी करते समय मेरे ध्यान में यह भी आया कि गवर्नमेंट पी.एस.यू.ज. 15 मार्च को जब एडवांस टैक्स का इंस्टालमेंट भरना पड़ता है तो इतना ज्यादा पैसा भर देते हैं, तो गवर्नमेंट पी.एस.यू.ज. में भी एकाउंटबिलिटी सिस्टम को हमें लागू करना पड़ेगा। दूसरी बात टी.डी.एस. का सिस्टम है, उसको एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। टी.डी.एस. रहे, हरेक के ऊपर टी.डी.एस. रहे, लेकिन जहां टी.डी.एस. में ज्यादा रिटर्न जनरेट होता है।

On that particular issue, I would request the hon. Finance Minister to do this. In today's scenario it is not a necessary step and there is no such emergency for it to be executed. But, I would request him to appoint some group or Committee. आपने दो अलग-अलग वियायों पर नरेश चन्द्र कमेटी ऐप्वाइंट की थी। एक छोटी कमेटी ऐप्वाइंट करें और रिफंड के पूरे सिस्टम को स्टडी करने की आवश्यकता है।

गत 1995-96 से लेकर टोटल 3 लाख 93 हजार करोड़ रुपये कलैक्ट हुए जिसमें से 91,000 करोड़ रुपये के करीब हमें रिफंड के तौर पर वापिस देने पड़े। आप इस विषय को, एडवांस टैक्स की बात है, 15 मार्च को हम एसएससी को कहते हैं कि आपको 31 मार्च तक सौ प्रतिशत एडवांस टैक्स भरने पड़ेगा। Why should the date be fixed as 15 March? We can fix the date as 15 April and उसके बाद अगर कोई ज्यादा पैसा भरता है तो it will not only result in the reduction in the interest, but we should evolve a system so that it acts as a disincentive to a person who is paying more tax or parking his funds. There should be some sort of disincentive in this process also. आप कारपोरेट सैक्टर से स्टार्ट करें कि कोई भी कारपोरेट सैक्टर की last installment will be made by 15 April and 15 अप्रैल में अगर उसने ज्यादा पैसा भरा होगा तो उसे रिफंड में एक पैसा भी इंटरस्ट नहीं मिलेगा। आज कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम है। 5 अप्रैल को सबकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी प्रक्रिया का प्रारंभ किया है। उसे इस प्रकार स्टडी करके टैक्सपेयर को और अच्छी राहत दें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, जो आज पास होने के लिए पेश किया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। किसी भी विधेयक को लागू करने पर उसकी कामयाबी तभी हो सकती है जब उसे ईमानदारी से, कुशलतापूर्वक लाया जाए और सरकार में इतनी क्षमता हो कि वह उसे लागू कर सके। यह सरकार विगत चार वर्षों में पूरी तरह से फेल है। लगभग एक लाख 16 हजार करोड़ रुपये टैक्ससेज ऐसे पड़े हुए हैं जो विवाद में धिरे हुए हैं और उन्हें यह सरकार वसूल नहीं कर पा रही है। इतने विवाद चल रहे हैं और उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर यह पैसा आ जाता तो सरकार को विकास के और कार्य करने में काफी लाभ हो सकता था।

मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूँ कि इस समय 4,610 मुकदमे उच्चतम न्यायालय में चल रहे हैं जिनका यह सरकार निपटारा नहीं कर पा रही है। लगभग 28,840 केसेज विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। उनका निपटारा भी सरकार नहीं कर पा रही है। एक करोड़ 13 लाख से अधिक विवादित मुकदमे और भी चल रहे हैं जिनका निपटारा सरकार नहीं कर पा रही है। टैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ कि अधिकारी ज्यादा टैक्स लगाकर थोप देते हैं और बाद में कर देने वालों से पैसा वसूल किया जाता है। उसके बाद उनको छूट दी जा रही है। जितना कर सरकार को मिलना चाहिए, उससे आधा ही मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को पहले अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना चाहिए, उन अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। इस देश में इतना काला धन जमा हुआ है कि उसे वसूल करने में यह सरकार बिल्कुल अक्षम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे अपने जवाब में हमें बताएं कि कितने ऐसे अधिकारी हैं, विशेष रूप से आपके विभाग में जो करप्ट अधिकारी हैं, उनके ऊपर अब तक आपने क्या कार्यवाही की है। बार-बार कोई विधेयक लाने से सरकार की कार्यकुशलता ठीक नहीं होगी। सरकार को पहले अपने में इतनी योग्यता लानी चाहिए, वित्त मंत्री को अपनी इतनी हनक बनानी चाहिए जिससे लगे कि कोई सरकार चल रही है। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में आयकर की बहुत चोरी हो रही है। जो सुविधा लाई जा रही है, उसमें कुछ बिन्दू मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक के दबाव में यह विधेयक लाया जा रहा है। इसमें पोत विघटन को एक विशेष सुविधा दी जा रही है कि हम बाहर से जितना सामान लाएं, उनके ब्याज पर आप इनकम टैक्स नहीं लेंगे।

मैं नहीं समझता हूँ कि यह उचित है। बाहरी शक्तियों को बाहरी बैंकों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इससे इस देश का कोई भला नहीं होगा। इसलिए वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक वापस ले लें या स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस में इसे भेज दिया जाए जिस पर पुनर्विचार किया जाए। जब विदेशी सामान इतना आ रहा है तो क्या वित्त मंत्री जी ने यह सोचा कि अपने देश में हमारे इतने योग्य लोग हैं तो हम अपना उत्पादन बढ़ाएं और हम अपना निर्यात बढ़ाएं। हम आयात न करें और हम बाहर से सामान न मंगाएं। हम इम्पोर्ट के ऊपर निर्भर न करें बल्कि हम एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रोत्साहन दें लेकिन चार वर्षों में हम देख रहे हैं कि सरकार और वित्त मंत्रालय पूरी तरह से असफल रहे हैं इसलिए इस विधेयक का मैं विरोध करता हूँ और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि यह विधेयक वापस ले लें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दावा किया है और आधार बताया है कि विभिन्न राज्य सरकारों और व्यापारी समुदायों के अभ्यावेदन पर इन्होंने गंभीरता से विचार किया है। जो वैल्यू फाइनेंस विधेयक, 2003 में पास हुआ, उस विधेयक में जो संशोधन पास हुआ, उसके चलते कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। उन कठिनाइयों के लिए विभिन्न राज्य सरकार और व्यापारी समुदायों ने इनके पास अभ्यावेदन किया, ऐसा इन्होंने दावा किया। इन्होंने यह भी दावा किया कि जो नॉर्डिक देश हैं, जो पांच देश डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ इन्वेस्टमेंट बैंक का जो समझौता हुआ है, उस समझौते के अनुपालन में यह विधेयक लाया गया है। इसके अतिरिक्त जो काठवाला सामान बनता है, उसको लोग बेचते हैं, उससे आय होती है और उस पर जो टैक्स लगता है, उसके लिए छूट है। तीन बातों के लिए इन्होंने दावा किया है।

हम सरकार से, माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि किस राज्य सरकार ने अभ्यावेदन किया था और किस व्यापारी समुदाय ने अभ्यावेदन किया? यह मार्च, अप्रैल, 2003 में पास हुआ। सरकार व्यापारियों के बारे में इतनी संसिस्टिव हैं कि जैसे ही इन्होंने अभ्यावेदन किया, सरकार तुरंत विधेयक ले आई। यदि गरीब आदमी, किसान आदमी से संबंधित कोई मामला होता है और उस पर तमाम लिखा-पढ़ी, आंदोलन और एजीटेशन होता है, उस पर तो सरकार नहीं लाती लेकिन व्यापारियों के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है कि तुरंत विधेयक ले आई है। यह भेद हम देख रहे हैं। सन् 2003 में विधेयक पास हुआ, उनका अभ्यावेदन आया और ये झटपट से ले आए। दूसरे, इन्होंने दावा किया है कि 1986 में यह एम.ओ.यू. हुआ और 1999 में पांच देशों का इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ समझौता हुआ तो 1999 के बाद उस

समझौते को लागू करने के लिए और उसके टैक्स में छूट देने के लिए अभी विधेयक लाए हैं। जब से एम.ओ.यू. हुआ, तब से आज तक टैक्स में छूट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? इन्होंने कहा है कि जो वित्त विभाग है, उसने संदर्भ दिया है कि ऐसा किया जाना चाहिए। उस समझौते के कार्यान्वयन में यह विधेयक लाए हैं। इतने दिन 1999 से लेकर अभी तक चार वां हो गए और 1984 से कितने दिन हो गए, लेकिन समझौते को लागू करने के लिए विधेयक अब लाए हैं तो बीच में क्या परिस्थिति थी? यह हम जानना चाहते हैं। एक कानून से तीन कानून में संशोधन होगा। इंकम टैक्स लॉ, वैल्यू टैक्स लॉ और एक्सपेंडिचर टैक्स के कानून में संशोधन होगा। यह श्री इन वन है, टू-इन-वन नहीं है।

एलकोहलिक लिक्वर पर टैक्स में छूट देने के बारे में भी हमने देखा है। हम जानना चाहते हैं कि क्यों आप इस पर छूट देना चाहते हैं? हम लोग टैक्स की साधारण प्रतिक्रिया जानते हैं कि जो चीजें गरीब के इस्तेमाल की चीजें हैं, आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, उन पर टैक्स को घटाया जाए, गरीब लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को सस्ता किया जाए।

विलासिता से संबंधित जो चीजें हैं, जिनको बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको महंगा किया जाए, टैक्स बढ़ाया जाए। हम जानना चाहते हैं, सरकार उससे सहमत है या नहीं? माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके इस्तेमाल की चीजों को सस्ता किया जाए। टैक्स घटायेंगे, तभी तो चीजें सस्ती होंगी। बड़े लोग जो पूंजीपति हैं, अरब पति हैं, खरबपति हैं, उनके इस्तेमाल की चीजें हैं, उन पर टैक्स बढ़ाया जाए। लेकिन यहां स्थिति उल्टी हो रही है। एल्कोहली लिकर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग इससे मतलब शराब ही निकालते हैं। विदेशी हो या स्वदेशी या प्लास्टिक वाली या ताड़ी - सब किस्म की शराब है। इन्होंने प्रावधान किया है कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 206G का संशोधन करेंगे, जिससे मानव उपभोग के लिए अल्कोहलीय लिकर और स्कूप, इमारती लकड़ी और अन्य वनोत्पाद, तेंदू पत्तों पर स्रोत से कर संग्रहण की दर को कम किया जा सके। इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, क्लवों और राजदूतावासों को क्रेताओं की परिभाषा से अपवर्जित किया जा सके। मतलब यह कि इन लोगों को छूट दे दी जाए और इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं होगा। भारत सरकार के आफिसर या मंत्री लोगों को छूट दे दी कि जितना चाहे लें। इस प्रावधान का तरीका क्या है, हम यह सरकार से जानना चाहते हैं? केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राजदूतावासों - इन सब बड़े लोगों के लिए टैक्स में छूट दे दी जाए, यह किस प्रकार का विचार है। गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए कहा जाता है कि सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन इस तरह से बड़े लोगों को छूट दी जा रही है। इस तरह से देश की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी। राज्य सरकार और कतिपय व्यापार संगमों और नोरडिक इनवैस्टमेंट बैंक से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह संशोधन लाया गया है। इन सब को छूट दी जा रही है। अगर यह सुविधा न ही होती, तो सरकार की कितनी आमदनी बढ़ती और अब इस विधेयक को पास कर देने से सरकार को कितना घाटा होगा तथा इसकी भरपाई कैसे होगी, इस बारे में सरकार बताए। सरकार अगर गरीब आदमियों को सुविधा देने के लिए कोई बिल लाती, तो हम उस बिल को पढ़ते भी नहीं और पास कर देते, लेकिन यह प्रावधान तो बड़े लोगों के लिए किया जा रहा है। हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही नोरडिक इनवैस्टमेंट बैंक के साथ 25 नवम्बर, 1986 को किए गए समझौता ज्ञापन और 18 मार्च, 1999 को हस्ताक्षरित परिशिष्ट के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए बचनबंध को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हम लोग कहेंगे कि विदेश का समझौता है और इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं।

15.00 hrs.

इसमें व्यापारी के कहने पर दो बातें हैं। कौन सी राज्य सरकारों और व्यापारी संघ ने कहा कि इसमें छूट देनी चाहिए? यह बात सदन जानना चाहता है। इससे कितना घाटा और लाभ होगा? इसमें इमारती लकड़ी की क्या बात है? आप इसके द्वारा शराब पर टैक्स कम करने जा रहे हैं। आप इन सब बातों को यहां साफ करें। हम लोग इसके खिलाफ हैं। ऐसे में यह विधेयक कैसे पास होगा? साधारण सी बात है कि गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीजें सस्ती होनी चाहिए और विलासिता संबंधी चीजें जिन्हें अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, वे कॉस्टली होनी चाहिए। यह मोटा-मोटा सिद्धांत और पुरानी नीति है। कौटिल्य के समय से यह पॉलिसी चल रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि कर नीति कैसी होनी चाहिए। आप सोच-विचार किए बिना व्यापारियों के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। हमें यहां इन सब बातों का उत्तर चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Finance Minister.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, please give me just two minutes. I did not get the chance to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Madhusudan Mistry, on whatever you had said earlier, I have asked the hon. Minister to reply on that also.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I have to draw his attention to the entire use of forest produce and labourers in the entire country which constitutes nearly 7.4 millions who are engaged by the cooperatives, by the State Government and also by the National Forest Development Corporation. The traders of tendu leaf pluckers do not pay anything. Not only that, they make huge profits at the cost of the State Exchequer. If they are giving permission to reduce the tax exemption, they must give some benefit to the labourers in the forest development corporations in the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whatever you have spoken has gone on record, and the hon. Minister would be replying on that also. Let the hon. Minister speak now.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I am just concluding, Sir.

I also want to submit about the appalling conditions of the ship-breakers, shipping workers. They are living in appalling conditions in that region. If the traders are given such benefits on the tax exemption, why is this Government not taking any interest to improve the conditions of these labourers working in the shipping industry in Gujarat? That is what I just wanted to draw his attention.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members for their wise interventions and observations. The principal observation which does not favour the path or route of Ordinance making is perfectly understandable. The Ordinances are resorted to only as a last option.

Sir, the Budget Session ended in May. Between May and July, on the basis of experience gained, representations received in every Budget, certain modifications are carried out in the Monsoon Session. In this particular case, we

had a Bill ready. But unfortunately because of various circumstances, in the Monsoon Session, the Bill could not be presented. Hence, it became necessary to issue the Ordinance.

Sir, a number of hon. Members have spoken about the Nordic Bank.

अपनी चिर परिचित शैली में माननीय रघुवंश बाबू ने कहा कि इसमें बड़ा गम्भीर और गहरा भेद है। इसमें कोई गहरा भेद नहीं है।

Sir, the agreement with the Nordic Bank was signed in 1986 by the then Government. In fact, the Nordic Bank is an investment bank which gives multilateral finance. It is being step up jointly by the Nordic countries -- Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

An MoU was signed with the Nordic Bank by the then Government in November, 1986 by which the Bank was to advance long-term project loans to the Indian concerns. On these long-term project loans, because it is a combined bank of various countries, the interest that is paid to the Nordic Bank by the Indian concerns inadvertently had remained subject to tax deducted at source.

To correct this situation, we made this correction through an Ordinance because this could not be done in the Finance Bill of 2003; and to delay it till the Finance Bill of 2004 would needlessly penalise the Nordic Bank which has a status similar to that of the Asian Development Bank and also to that of the IMF. Neither the Asian Development Bank nor the IMF – on their loans and interest received – is subject to tax deducted at source. Therefore, the Nordic Bank was also placed on the same footing through the Ordinance.

रघुवंश बाबू कहें कि इसमें कोई भेद देखा है, कोई गहरी साजिश देखी है, उसका क्या उपाय करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : 1999 वाला 84 का विधेयक आया है, 4 वां के बीच में क्या परिस्थिति थी, वही हम पूछ रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : आप जानते हैं कि 2003 में परिस्थिति बनी थी जो लोन देना था क्योंकि कई समझौते हुये, एम.ओ.यू. साइन हुये. 1999 में समझौता हुआ और 2001 में उस पर टैक्स लगना शुरू हो गया। 2003 में नौरडिक इनवैस्टमेंट बैंक ने यह देना शुरू किया तब उसमें यह पाया गया कि यह रह गया है। नौरडिक इनवैस्टमेंट बैंक उसी स्तर की श्रेणी का बैंक है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक या आई.एम.एफ. है क्योंकि उनके द्वारा दिये गये ऋणों पर जो ब्याज का पैसा दिया जाता है, उस पर कोई टीडीएस नहीं होता। इसलिये उसे उस श्रेणी में रखा गया है। एक पुरानी कहावत है जिससे रघुवंश बाबू परिचित हैं ।

" जाकि रहि भावना जैसी, प्रभु मूरत देखि तिन तैसी "

A point on the wood based handicraft industry was raised. I would not go into that particular section. Section 10B provides for this. The provisions of wood based industry are that if you are to engage in wood based industry then you have to import wood to save the wood from excessive utilisation in India. A number of handicraft units have protested against this. यह प्रश्न पूछा गया कि क्या कुछ राज्यों से रिप्रेजेंटेशन मिला और कहा गया कि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, वे टैक्स नहीं देते हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं देती हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अगर बाहर से लकड़ी मंगायी है तो वह मकान बनाने में इस्तेमाल हो रही है वह हैंडी क्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इमारती लकड़ी का बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये।

श्री जसवंत सिंह : इमारती लकड़ी नहीं रही, यह पहले था। अगर आप बाहर से लकड़ी मंगायेंगे तभी आपको एग्जम्पशन रहेगा। इसे आप ध्यान से देखिये। आप यहां की लकड़ी को अगर हैंडीक्राफ्ट के लिये इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट होगा तो सुविधा मिलेगी। बाहर की लकड़ी लगाने का प्रावधान उसमें नहीं है। यही इसमें अगर यह कहा जाये कि वास्तव में इसमें व्यापार नहीं है। इससे बहुत एम्प्लायमेंट होगा, हजारों लोग जो गांव के हैं, गांव का बड़ई है, उसे रोजगार मिल रहा है। राजस्थान और गुजरात के लोगों को इसकी जानकारी है। विशेषकर कच्छ, सौराष्ट्र और काठियावाड़ में बहुत हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत हो रहा है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस पर विचार करें क्योंकि सैक्शन 80सी को धार देने के लिये यह किया गया है।

It is very clear that the ship breaking industry is a high employment generating industry. It is an industry that has flourished only in Gujarat because of the coastal nature of that industry. I agree that those that are in the ship breaking industry or perhaps the labour there is not receiving the benefits that ought to be fully provided to them. That is somewhat of a different concern. The Government is engaged with that. We take on board the concerns of the hon. Members in that regard.

But so far as the ship breaking companies that have been set up in India are concerned, they are required to pay usance interest to non-resident shipping owners on the purchase price of ship that is purchased. If a ship is purchased for breaking, the money is advanced by the owners of those ships and then you have to pay an interest on that. We wanted to correct this anomaly. Then there were certain decisions which varied. For example, the decision of the Gujarat High Court is at variance from certain other States which I would not mention. According to the judgement of the High Court, the interest which was paid without tax deduction at source was disallowed. An assessment was needed because it led to a very crippling tax demand on the industry as such. That is why, this clarification in the Ordinance had been issued.

Now I come to liquor. माननीय सदस्य रघुवंश बाबू ने राज्य सरकारों का जिक्र किया। इसमें विशेषकर कर्नाटक से हमें एक आग्रह था। हमने टैक्स कलैक्शन एट सोर्स का एक प्रावधान पिछले बजट में किया था, ताकि जहां कंट्री मेड लिक्वर बनता है, वहीं पर टैक्स कलैक्ट किया जाए। फिर तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि होलसेलर्स का जो प्रोफिट मार्जिन है, वह रिटेलर्स से दो-चार परसेन्ट ज्यादा है, इसलिए टैक्स रेट को नीचे लाने के लिए 1 से

2 परसेन्ट तक किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने जानना चाहा कि क्लब और एम्बैसी से टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं करते। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि एम्बैसी और क्लब अपने आपमें थोक में शराब बाहर नहीं बेचते हैं, इसलिए उनसे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स नहीं होता। वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज का मैं जवाब दे चुका हूँ।

There was an interesting query from hon. Shri Kirit Somaiya as to why there is so much refund. I think he himself identified the source and said, it is because of the tax deduction at source. Then the relief is obtained by the taxpayer at the appeal stage. He has asked as to why not do away with it altogether. The tax paid was being employed by certain corporate bodies in the Leave Fund in the care of the revenue department which earned the higher interest. Then it came back to them at the appropriate time. We have corrected that. But TDS is a major tax collection source and a revenue raising resource. It will not be possible for me to lightly do away with TDS. But we are in the process of examining every aspect of the taxation regime. No doubt, we will be looking at it afresh during these days. These were some of the main points.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Why are we giving exemption to the *tendu* leaf traders?

श्री जसवंत सिंह : तेंदू लीवज के बारे में आपने कहा है। तेंदू पत्ती को लेकर विभिन्न राज्यों में विभिन्न बातें आती हैं। यह लेबर से जुड़ा हुआ मामला है। मध्य प्रदेश में एक है। I wish to assure the hon. Member about this. We are at the stage of formulating what we intend to bring to Parliament in the month of February. We will examine all such aspects also as we are examining other issues. We will examine whether we should give exemption to *tendu* leaf traders, whether we should give exemption on *bidi* or not, etc. We will be examining all these aspects afresh.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN : What is the quantum of revenue loss by this particular amendment?

SHRI JASWANT SINGH: I think the revenue loss so far, whether it is tax deduction at source on Nordic Bank or whether it is usance charge, there is no revenue loss. There is marginal revenue loss in correcting the tax collection at source which we had, in any case, corrected.

On wood-based handicraft industries, as it is export-oriented, again the revenue loss is marginal. We are not talking of major revenue losses in any of these measures.

Sir, with these words, I commend the Bill for the consideration of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basudeb Acharia Not present

I shall put the Statutory Resolution to vote.

The question is:

"That this House disapproves of the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2003 (No. 2 of 2003) promulgated by the President on 8th September, 2003."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Income-Tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957 and the Expenditure-tax Act, 1987, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 23 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 23 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.
